


१०/१२/२४ पत्रावली पेश | वकील वादी उप० | विभाजन प्रस्ताव पर
एकपक्षीय बक्स सुनी गई। बाद बक्स विभाजन प्रस्ताव
स्वीकर कर दावा वादी अन्तिम डिग्री दिया जाता
है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल
पत्रावली दिया जावे। पत्रावली फंसल शुमार नौकर
नम्बर से कम है। बाद तदुभय दारिद्वि दफ्तर की
निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्डाधिकारी
सज्जमण (धौलपुर) राज.